राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 75045-5078 दिनांक : 08/09/2022

जिला कलेक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक
(इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना),
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य की समस्त नगरीय निकायों में **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना** (IRGY-Urban) के शुभारम्भ के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY Urban) का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 09.09.2022 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित ''राज्य स्तरीय समारोह'' में किया जावेगा।

इसी क्रम में जयपुर के अतिरिक्त समस्त जिला मुख्यालयों पर सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्रीगण द्वारा एवं जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य नगरीय निकायों के स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्बन्धित नगरीय निकाय के सभापति / अध्यक्ष, माननीय विधायकगण / अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का शुभारम्भ किया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम में नगरीय निकायों के महापौर / सभापति / अध्यक्ष मय समस्त पार्षदगण व जनप्रतिनिधियों तथा समस्त अधिकारी / कर्मचारीगण को आमंत्रित किया जावे एवं उक्त कार्यक्रम को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से प्रातः 11.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जावे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन के तुरन्त पश्चात् जिला स्तर / निकाय स्तर पर कार्यक्रम को आगे लगातार जारी रखा जावे। योजना का शुभारम्भ कार्यक्रम चयनित किये गये कार्य स्थल पर अथवा नजदीक के उपर्युक्त मैदान / कार्यक्रम स्थल पर ही किया जावे। जिला स्तर / निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का मिनट–टू–मिनट प्रोग्राम संलग्न है।

इस सम्बन्ध में यह भी लेख है कि जिला स्तर / राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होने के पश्चात् कार्यक्रम स्थल पर ही सम्बन्धित प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई जावें एवं योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रेस को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।

उषा
(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)( )सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 75079-648 दिनांक : 08/09/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि योजना का विधिवत शुभारम्भ करने हेतु आपके क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित किया जावे एवं योजना का सफ़ल संचालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।
10. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
11. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीड़िया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
14. एनॉलिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु पालनार्थ।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

दिनांक 09.09.2022 को राज्य स्तर पर आयोजित समारोह

1. प्रातः 11.00 बजे से मध्यान्ह् 12.30 बजे तक

जिला स्तर/नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का मिनट–टू–मिनट विवरण

अस्थाई (परिवर्तनीय) कार्यक्रम

क्रमसं.	समय	जिला स्तरीय/नगरीय निकाय स्तरीय कार्यक्रम
1.	मध्यान्ह् 12.30 बजे	मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत
2.	मध्यान्ह् 12.35 से 12.45 बजे तक	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा योजना का परिचय
3.	मध्यान्ह् 12.45 से 12.50 बजे तक	योजनान्तर्गत कार्य का विधिवत शुभारम्भ
4.	मध्यान्ह् 12.50 बजे से 1.00 बजे तक	श्रमिकों को जॉब कार्ड का वितरण
5.	मध्यान्ह् 1.00 बजे से 1.10 बजे तक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन
6.	मध्यान्ह् 1.10 बजे से 1.20 बजे तक	माननीय विधायकगण का उद्बोधन
7.	मध्यान्ह् 1.20 बजे से 1.35 बजे तक	माननीय प्रभारी मंत्री गण द्वारा सम्बोधन
8.	मध्यान्ह् 1.35 बजे से 1.40 बजे तक	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन
9.	मध्यान्ह् 1.40 बजे	कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा